मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/04/2022

क्रमांक 685 /3675/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1619/3103/ 2021/38-1, दिनांक 31.08.2021 द्वारा डॉ. कुमारी नंदिता पी. त्रिवेदी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर को प्रशासकीय आधार पर शासकीय पेंचव्हेली पीजी महाविद्यालय, परासिया, जिला छिंदवाडा किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध डॉ. त्रिवेदी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक 17806/2021 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2021 में याचिका को dispose of किया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Learned Panel Lawyer for the State opposes the prayer for interim relief. He submitted that representation preferred by the petitioner shall be considered and decided in accordance with law.

I n view of the aforesaid facts and circumstances of the case, writ petition is disposed off with direction to respondent no.1 to consider and decide the representation of petitioner within a period of 30 days. No disciplinary action, if any, shall be taken against the petitioner during the period of 30 days.

3/ डॉ. त्रिवेदी द्वारा उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रशासकीय विभाग को प्रेषित अभ्यावेदन में स्थानांतरण आदेश निरस्त कर यथावत पदस्थ करने का अनुरोध किया है। डॉ. त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त किये जाने के आधार	विभागीय अभिमत
i.	पूर्व में मेरा स्थानांतरण जबेरा, जिला दमोह, बडवारा जिला कटनी एवं नरसिंहपुर एवं डिप्लायमेंट सिहोर तहसील में हुआ है एवं हर बार मेरे द्वारा शासनादेशों का पालन किया गया है।	डॉ. त्रिवेदी, शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर में दिनांक 11.02.2015 से कार्यरत है।

4/ डॉ. कुमारी नंदिता पी. त्रिवेदी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर में विगत् 06 वर्षों से पदस्थ है। डॉ. त्रिवेदी का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. त्रिवेदी प्रथम श्रेणी संवर्ग की अधिकारी है। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. त्रिवेदी द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. कुमारी नंदिता पी. त्रिवेदी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 12/04/2022

पृष्ठा.क्र. 686 /3675/2021/38/1
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर,
3. प्राचार्य, शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय, जबलपुर
4. प्राचार्य, शासकीय पंचवव्हेली पीजी महाविद्यालय, परासिया, जिला छिंदवाडा
5. संबंधित डॉ. कुमारी नंदिता पी. त्रिवेदी, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शासकीय पंचवव्हेली पीजी महाविद्यालय, परासिया,
6. गार्ड फाईल,

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग